

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत सूचीबद्ध फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक- 13.11.2025 का कार्यवृत्त।

दिनांक 13.11.2025 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

- 1 मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
- 2 अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 3 सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 4 डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, मेधज, टी०पी०आई० एजेन्सी, मंझनपुर कौशाम्बी।
- 5 डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी०), मंझनपुर, कौशाम्बी।
- 6 प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०), मंझनपुर कौशाम्बी।

सर्वप्रथम विगत बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया गया। जिसका अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी०) प्रोजेक्ट इण्डिया लि०) द्वारा कराये जा रहे कार्यों के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी :-

मे० जे०एम०सी० द्वारा जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज -3 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य :-

मे० जे०एम०सी० (के०पी०आई०एल०) फर्म के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 275 नग राजस्व ग्राम आवंटित किये गये थे। फर्म द्वारा कुल 275 नग राजस्व ग्रामों हेतु कुल 94 नग पेयजल योजनाओं के डी०पी०आर० में तैयार किये गये हैं। स्वीकृत 94 नग योजनाओं में फर्म को 152 नग ट्यूबवेल, 128 नग उच्च जलाशय, 1797 किमी० पाइप लाइन एवं 92965 नग FHIC प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अभी तक 149 नग ट्यूबवेल एवं 76 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 1430 किमी० पाइप लाइन बिछाकर, 84471 नग हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। साथ ही लगभग 123 नग राजस्व ग्रामों में सम्मिलित 38999 नग गृह संयोजनों में जलापूर्ति भी प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों को 80 प्रतिशत तक पुनर्स्थापित करा दिया गया है तथा शेष पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

तदोपरान्त जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत दूसरी सूचीबद्ध फर्म मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) द्वारा कराये गये कार्यों के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी :-

मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) द्वारा जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य :-

मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 351 नग राजस्व ग्राम आवंटित किये गये थे। फर्म द्वारा कुल 351 नग राजस्व ग्रामों हेतु कुल 181 नग पेयजल योजनाओं के डी०पी०आर० में तैयार किये गये थे। स्वीकृत 181 नग योजनाओं में फर्म को 201 नग ट्यूबवेल, 181 नग उच्च जलाशय, 2242 किमी० पाइप लाइन एवं 123503 नग FHIC प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अभी तक 196 नग ट्यूबवेल बोरिंग का कार्य पूर्ण किया गया, 180 नग उच्च जलाशय पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है, जिसमें से 125 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 1932 किमी० पाइप लाइन बिछाकर, 113104 नग हाउस कनेक्शन प्रदान करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही लगभग 107 नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति भी प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों को 70 प्रतिशत तक पुनर्स्थापित करा दिया गया है तथा शेष पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

तदोपरान्त दोनों सूचीबद्ध फर्मों के कार्यों की भौतिक प्रगति रिपोर्ट में अपेक्षाकृत सुधार प्रदर्शित न होने पर असंतोष व्यक्त करते हुये अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) एवं दोनों सूचीबद्ध फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देश दिये गये कि आवश्यक मैनपावर बढ़ाते हुये प्रत्येक दशा में उच्च जलाशय, पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन एवं सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों की प्रगति बढ़ाते हुये तत्काल पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराकर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही- अधि०अभि० जल निगम(ग्रा०)/कार्यदायी संस्थाएँ)

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. जिन फर्मों की कार्य प्रगति स्वीकृत टाइमलाइन 20 प्रतिशत से अधिक पीछे है, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाए, और विलम्ब का औचित्य न पाये जाने पर अनुबन्ध अनुसार पेनाल्टी इम्पोज की जाए।
2. सभी साइट्स पर पर्याप्त श्रमिक, सामग्री, पाइप, डम्प मशीनरी आदि आवश्यकतानुसार तीन दिनों में डिप्लॉय की जाए।

3. भूमि विवादों का यथाशीघ्र प्राथमिकता पर निस्तारण सम्बन्धित एस0डी0एम0 से समन्वय स्थापित करते हुए कराया जाए। संवेदनशील ग्रामों में यदि अपेक्षित हो तो राजस्व प्रशासन व पुलिस बल के साथ कार्यवाही की जाए।
4. भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में राजस्व प्रशासन/स्थानीय पंचायत आदि के सहयोग से तत्काल वैकल्पिक भूमि चिन्हित की जाए।
5. सभी कार्यों की सक्षम तकनीकी थर्ड पार्टी से ऑडिट कराया जाए।
6. लाइन टेस्टिंग/पाइपों के इस्पेशीफिकेशन व गुणवत्ता/कनेक्शन स्टैंडर्ड में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए।
7. कार्य के अपेक्षित स्टैटिजिक जी0पी0एस0 फोटो सम्मिलित की जाए।
8. बी0डी0ओ तथा सम्बन्धित ए0ई0 द्वारा विकास खण्डवार कार्यों के प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए।
9. यदि औचित्यपूर्ण हो तो कतिपय कार्यों की टाइमलाइन को रिवाइज्ड किया जाए, किन्तु यदि रिवाइज्ड टाइम के अनुसार भी अपेक्षित प्रगति नहीं पायी जाती तो फर्मों के विरुद्ध निरोधात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
10. आज दिनांक 13.11.2025 की बैठक में जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 के अनुपस्थित रहने के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिला समन्वयक द्वारा भूमि विवाद के सन्दर्भ में उनके द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें।
11. मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से प्रेषित पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस कनेक्शन हेतु तोड़ी गयी सड़को/गलियों की सत्यापन रिपोर्ट में असंतोषजनक/Settled Road पायी गयी है उनको पुनर्स्थापित कराकर फोटो सहित आख्या प्रेषित करें।
12. डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, टी.पी.आई. द्वारा बिना किसी प्रगति रिपोर्ट के बैठक में प्रतिभाग करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। साथ ही साथ अगली बैठक में योजनाओं में प्रयुक्त की जा रही सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट, टी.पी.आई. द्वारा योजनाओं पर जारी की गयी Non Compliance Report की अनुपालन आख्या के साथ प्रतिभाग करने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- E.E. UPJN(R)/D.P.M TPI Agency/ D.C. DPMU)

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।

पत्रांक ३५३६ /जल जीवन मिशन/७९-७५ / ३१ दिनांक- ०३/११/२५ -
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी।
2. समस्त सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कौशाम्बी।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
4. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में अनुपस्थित रहने के सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के शत-प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करें।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी०), कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करें।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी० ए० इन्फ्रा(जे०वी०) कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
VINOD RAM TRIPATHI
Date: 2025.12.02 17:56:58
मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।